रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2006/ज्येष्ठ 3, 1928
No. 223] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2006/JYAISTHA 3, 1928

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2006

सा.का.नि. 307(अ).– जबकि वायुयान नियमावली, 1937 में आगे संशोधन करते हुए वायुयान (दूसरा संशोधन) नियमावली 2006 का प्रारूप, वायुयान अधिनियम 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार, नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 17 मार्च 2006 की सं.सा.का.नि. 166 (अ) में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसमें भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिनमें वह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उससे 30 दिन की समाप्ति से पूर्व उनसे आपत्तियां और सुझाव माँगे गए थे।

तथा जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 17 मार्च 2006 को उपलब्ध करा दी गई थी;

तथा जबकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि में प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विमान नियमावली, 1937 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामश:-

1. (1) इन नियमों को वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, अनुसूची-II में,—

(1) अनुभाग ञ, पैरा 1 में उपखंड (ड.) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"परन्तुक आवेदक, जो वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति (हेलीकॉप्टर) धारक है और जिसने हेलीकॉप्टर के समादेशक पायलट के रूप में 1000 घंटों से अन्यून का उड़ान काल संतोषप्रद रूप से पूरा किया है, की दशा में, विमान के पायलट के रूप में 200 घंटों की उपर्युक्त अनुभव की अपेक्षा को कम करके 100 घंटे तक होगी।"

(2) अनुभाग ट के पैरा 6 में,-

(क) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात

"(ii) वाणिज्यिक वायु परिवहन से भिन्न प्रचालनों में लगे किसी भी हेलीकॉप्टर में समादेशक पायलट के रूप में कार्य करना;

(iii) एकल पायलट प्रचालन हेतु प्रमाणित किसी भी हेलीकॉप्टर में वाणिज्यिक वायु परिवहन में समादेशक पायलट के रूप में कार्य करना; और

(iv) सह-पायलट के साथ प्रचालन के लिए अपेक्षित हेलीकॉप्टरों में वाणिज्यिक वायु परिवहन में सह-पायलट के रूप में कार्य करना।" ,

(ख) पहले परन्तुक में 'अवतरण पैटर्न' शब्दों के स्थान पर "परीक्षक के समाधानप्रद रूप में अवतरण पैटर्न और एकल मार्ग जाँच" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3.) अनुभाग त में,--

(क) पैरा 1 के उपखंड (ड.) में,-

(i) "परीक्षक के समाधानप्रद रूप में " शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "कोई उपकरण उड़ान परीक्षण", शब्दों के स्थान पर "दो भिन्न परीक्षकों के समाधानप्रद रूप में दो उपकरण उड़ान परीक्षण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) पैरा 3 में, उपखंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामश:

"परंतु एक परीक्षक के समाधानप्रद रूप में, केवल एक कौशल परीक्षा पर्याप्त होगी।"

[फा. सं. एवी-11012/11/2005-ए]

आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:

1. मूल नियम सरकारी राजपत्र में तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्यांक वी-26 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित संख्या सा.का.नि.181(ई) तारीख 29 मार्च, 2006 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2006

G.S.R. 307(E).— Whereas the draft of the Aircraft (Second Amendment) Rules, 2006 further to amend the Aircraft Rules, 1937, were published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation number G.S.R.166(E), dated the 17th March, 2006, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 17th March, 2006;

And whereas no objections or suggestions have been received from any person in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:–

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in Schedule II, -

(1) in Section J, paragraph 1, after clause (e), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of an applicant who is in possession of a Commercial Pilot's Licence (Helicopters) and who has satisfactorily completed not less than one thousand hours of flight time as Pilot-in-Command of a helicopter, the above experience requirement of two hundred hours as pilot of an aeroplane shall be reduced to one hundred hours."

(2) in Section K, in paragraph 6, -

(a) for clause (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(ii) to act as pilot-in-command in any helicopter engaged in operations other than commercial air transportation;

(iii) to act as pilot-in-command in commercial air transportation in any helicopter certified for single-pilot operation; and

(iv) to act as co-pilot in commercial air transportation in helicopters required to be operated with a co-pilot.";

(b) in the first proviso, for the words "landing patterns by", the words "landing patterns and one route check to the satisfaction of an Examiner by" shall be substituted.

(3) in Section P, -

(a) in paragraph 1, in clause (e),-

(i) the words "to the satisfaction of the Examiner" shall be omitted;

(ii) for the words "an instrument flight test", the words "two instrument flight tests to the satisfaction of two different Examiners" shall be substituted.

(b) in paragraph 3, after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that only one skill test carried out to the satisfaction of one Examiner shall be sufficient."

[F. No. AV-11012/11/2005-A]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Official Gazette vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by G.S.R.181(E) dated 29th March, 2006 published in Part II, section (3), sub-section (i) of the Gazette of India.

1565 GI/2006-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.